



HIRA

GODAWARI POWER & ISPAT



REF: GPIL/NSE&BSE/2023/5271

Date: 20.11.2023

To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001.
Scrip Code: BSE: 532734

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C/1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai-400051.
Scrip Code: GPIL

Dear Sir/Madam,

Sub: Publication of Notice of Remote e-voting regarding Extra Ordinary General Meeting (EGM) to be held on 12.12.2023.

We have published the Notice regarding remote e-voting in Hindi and English Edition newspapers on 17.11.2023.

Please find enclosed herewith a copy of the paper cuttings of the same.

Thanking You,

Yours faithfully,

For, GODAWARI POWER AND ISPAT LIMITED

Y.C. RAO
COMPANY SECRETARY

Encl: As Above



Godawari Power & Ispat Limited

An ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 certified company
CIN L27106CT1999PLC013756

Registered Office and Works: Plot No. 428/2, Phase 1, Industrial Area, Siltara, Raipur - 493111, Chhattisgarh, India

P: +91 771 4082333, **F:** +91 771 4082234

Corporate Address: Hira Arcade, Near New Bus Stand, Pandri, Raipur - 492001, Chhattisgarh, India

P: +91 771 4082000, **F:** +91 771 4057601

www.godawaripowerispat.com, www.hiragroup.com

क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित

2 लाख 8 हजार 655 मतदाताओं में से 1 लाख 4 हजार 465 पुरुष मतदाता, 1 लाख 4 हजार 188 महिला मतदाता, 2 तृतीय लिंग मतदाता तथा विधानसभा क्षेत्र 58 धमतरी में कुल 2 लाख 20 हजार 19 मतदाताओं में से 1 लाख 7 हजार 597 पुरुष मतदाता, 1 लाख 12 हजार 416 महिला मतदाता और 6 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं।

जिले में होम वोटिंग के माध्यम से 87 वृद्धजन और दिव्यांग मतदाताओं ने घर पर मतदान किया। वहीं निर्वाचन कार्य में लगे 3 हजार 334 अधिकारी, कर्मचारियों ने डाक मतपत्र के जरिए मतदान किया। गौरतलब है कि जिले के प्रत्येक विधानसभा में 10-10 संगवारी मतदान केन्द्र (महिला प्रबंधित मतदान केन्द्र), दिव्यांग कर्मियों द्वारा प्रबंधित और युवा प्रबंधित प्रत्येक विधानसभा में 1-1 मतदान केन्द्र और प्रत्येक विधानसभा में 5-5 आदर्श मतदान केन्द्र बनाये गये हैं।

5 अतिरिक्त 12 वैकल्पिक

मतदाता कर सकेगे मतदान

जिला निर्वाचन अधिकारी ऋतुराज रघुवंशी 023 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की हचान पत्र जारी किए गए हैं। आयोग सभी देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने पहचान पत्र दिखाएंगे। यदि कोई निर्वाचक निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 12 वैकल्पिक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जाँब कार्ड, प्रयुक्त रेशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, रि किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत त्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक प्रयोग कर सकते हैं।

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मैं शिवांगी शुक्ला, पिता धीरेन्द्र कुमार शुक्ला, निवासी बी-11, शैलेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.) यह शपथ करती हूँ कि मैंने अपना पुराना नाम शिवांगी शुक्ला को त्याग कर नया नाम शिवांगी शुक्ला जैन रख ली हूँ।

अतः आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नए नाम शिवांगी शुक्ला जैन, पति प्रभव जैन से ही जाना व पहचाना जावे।

शिवांगी शुक्ला जैन
बी-11, शैलेन्द्र नगर,
रायपुर (छ.ग.)

धमतरी, 16 नवंबर (देशबन्धु)। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 के लिए द्वितीय चरण में मतदान के लिए मतदान दिवस 17 नवंबर को संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत द्वितीय चरण के लिए 17 नवंबर 2023 को संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त निजी संस्थानों, औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अधिकारी तथा कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिए जाने का निर्देश जारी किया गया है।

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार श्रम विभाग ने विधानसभा निर्वाचन के लिए औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेखित है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 135 (ख) के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संचालित औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठान इस बात को सुनिश्चित करें कि

मतदान दिवस पर कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाए।

आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश तथा तेलंगाना जहां विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 हेतु मतदान तिथि क्रमशः 17 नवंबर तथा 30 नवंबर को नियत है, उक्त पड़ोसी राज्य के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों / दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में नियोजित हैं, ऐसे नियोजित/कार्यरत संबंधितों को भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किया जाए तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाए। मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत श्रमिकों अथवा कर्मचारियों चाहे वे दैनिक वेतनभोगी हो या आकस्मिक श्रमिक हो उनको प्रदान किया जाएगा।

न्यायालय :- श्री दिग्विजय सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, रायपुर (छ.ग.)
Process No- 392/23
प्रकरण क्रमांक- MIC 261/2023
Next Date 23/11/2023

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड
विरुद्ध
पवन शेरवानी

बनाम,
1. पवन शेरवानी, पिता-वासुराम शेरवानी,
2. पिकी शेरवानी, पति श्री पवन शेरवानी, दोनों का पता- हाउस नंबर 26, स्ट्रीट नंबर 02, शेरवानी हाउस, राजीव नगर, रायपुर, अन्य पता- हाउस नंबर 27, भारत गृह निर्माण समिति, राजीव नगर, काली माता वार्ड के. 30, रायपुर, अन्य पता मेसर्स रिवा इटालिया वार्ड 51, फ्रूट मार्केट के सामने, धमतरी रोड, रायपुर (छ.ग.) आवेदक में आपके विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसकी इस न्यायालय में पेशी तारीख 23/11/2023 नियत है। अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 23/11/2023 को दिन में 11:00 बजे इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से (स्वयं) उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करें। यदि आप अपने पक्ष में कोई लिखित तथ्य/ दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहे तो वह भी उपरोक्त दिनांक 23/11/2023 को प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उमर वर्णित की गयी तारीख को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो प्रकरण की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। नोट- यदि किसी कारणवश पेशी तिथि को अवकाश हो जाता है अथवा कार्य स्थगित हो जाता है या पीठासीन अधिकारी अवकाश पर हो तो प्रकरण की सुनवाई ठीक अगले कार्य दिवस पर किया जाएगा। आज दिनांक 04 माह 11 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी किया गया।

श्री दिग्विजय सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, रायपुर छ.ग.

HIRA GODAWARI POWER & ISPAT
पंजीकृत कार्यालय: 428/2, फ़ैस-1, औद्योगिक क्षेत्र, सिलवारा, रायपुर, छत्तीसगढ़
कार्यालय कार्यालय: हिरा आर्केड, पंडुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492004
सी.आई.एन.: L27106CT1999PLC013756, दूरभाष: 0771-4082000
वेबसाइट: www.godawaripowerispac.com ईमेल: yarra.rao@hiragroup.com

गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड

असाधारण आम बैठक की सूचना, ई वोटिंग सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि:

- कंपनी की असाधारण आम बैठक (ई.जी.एम) शनिवार, 12 दिसम्बर, 2023 को प्रातः 11:30 बजे (भारतीय मानक समय), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)अन्य ऑडियो विड्युअल माध्यमों (ओपेनवीएम) के माध्यम से होना सुनिश्चित हुई है, जिसमें ई.जी.एम की सूचना दिनांक 07 नवम्बर, 2023 के अनुसार वर्णित विषय व्यवसायों को कार्यन्वित किया जाना है।
- ई.जी.एम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां एक वेब लिंक के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेजी गई हैं, जिनके ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत है। कंपनी की ई.जी.एम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.godawaripowerispac.com एवं www.evoting.nsd.com.in पर भी उपलब्ध है।
- निर्णायक तिथि 5 दिसम्बर, 2023 को जिन अंशधारकों ने अंश शीटिक रूप में या डीमेट रूप में रखे हैं, वह अपने मत का प्रयोग विशेष व्यापार जैसा की ई.जी.एम के नोटिस दिनांक 07 नवम्बर, 2023 में बताया गया है, वह नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से, अपना मत डाल सकते हैं। सदस्यों को सूचित किया जाता है कि (अ) नोटिस शुक्रवार 10 नवम्बर 2023 को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया गया है (ब) इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया शनिवार, 09 दिसम्बर 2023 प्रातः 09:00 (भारतीय मानक समय) से शुरू होगी और सोमवार 11 दिसम्बर 2023 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) पर समाप्त होगी और उसके पश्चात मतदान की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी (स) सदस्य ई.जी.एम के दौरान के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।
- यदि कोई व्यक्ति जो सूचना के प्रेषण (भेजने) की अंतिम तिथि 3 नवम्बर, 2023) के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कट ऑफ डेट (5 दिसम्बर, 2023) पर शेयर रखता है, वे व्यक्ति अपने डीपी आईडी और ग्राहक आईडी या फोक्सियों के साथ evoting@nsdl.co.in या mt.helpdesk@linkintime.co.in या yarra.rao@hiragroup.com पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड, मतदान की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या/ शिकायतों के मामले में लॉगिन आदि से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
- व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है कट-ऑफ की तारीख तक, केवल उन व्यक्तियों को ई.जी.एम में मतदान के साथ-साथ दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- सदस्य, दूरस्थ ई-मतदान द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी सभा में भाग ले सकते हैं, किंतु उन्हें सभा में पुनः मत देने की अनुज्ञा नहीं होगी।
- सदस्यों से अनुरोध है कि वह मतदान की प्रक्रिया के लिए ई.जी.एम के नोटिस दिनांक 07 नवम्बर, 2023 एवं एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsd.com पर सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनका अनुपालन करें।
- मतदान की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या/ शिकायतों के मामले में लॉगिन आदि से संबंधित (अ) सदस्य जिनका डीमेट खाता एनएसडीएल के साथ है वे हेल्पडेस्क evoting@nsdl.co.in और टोल फ्री नंबर 022-48867000 / 022-24997000 में संपर्क कर सकते हैं। (ब) सदस्य जिनका डीमेट खाता सीडीएसएल के साथ है वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजे या 022-23058738 और 022-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं।

स्थान: रायपुर
दिनांक: 15.11.2023

कृते, गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड
हस्ता./-
या.सी.राव., कंपनी सचिव

